

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

आ.सं.- 8/ज.स.(नि.)रांची-40/2006:-

राँची,

दिनांक:-

**आदेश**

विभागीय संकल्प झापांक 3760 दिनांक 31.12.08 द्वारा श्री नवीन कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, रांची के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री नवीन कुमार वर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत श्री वर्मा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.) में सम्पुर्णित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव (नि.)।

झापांक:- 2252

/राँची, दिनांक:- 8-5-15

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ व्हेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री नवीन कुमार वर्मा, आवास सं. 184, सेक्टर- 3 डी., बोकारो स्टील सिटी बोकारो- 827003 (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव(नि.)।

8-5-15